राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5468/2022

अब्दुल मन्नान

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पी.एच.ई.डी. मुख्यालय केम्पस, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सब–डिविजन मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति कार्य प्रभारी कर्मचारी के रूप में आदेश दिनांक 13.04.1986 के द्वारा की गई थी। अपीलार्थी को दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 13.04.1988 से अर्द्धस्थायी घोषित किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 01.01.1998 से नियमित किया गया। अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी घोषित होने की दिनांक से 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया, जो दिनांक 01.01.1998 प्रदान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने 9 वर्ष की सेवा दिनांक 13.04.1997 को ही पूरी कर ली थी। ऐसे में अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 13.04.1997 से दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी के रूप में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 13.04.1997 से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए था, परंतु अपीलार्थी को यह लाभ दिनांक 01.01.1998 से दिया गया, जो उचित नहीं है। उनके द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3144/2000 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाम भजनलाल में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2000 का हवाला दिया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी के

अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को दिनांक 01.01.1998 से लाभ दिया जाना उचित नहीं हैं।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1.(3) वित्त/व्यय–3/93 दिनांक 04.03.1998 क्रमांक प.1.(3)वित्त/व्यय–3/98 दिनांक 30.09.1998 आदेश क्रमांक एफ 1(7) एफ.डी./व्यय टीटीटी /99 दिनांक 17.02.2003 एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ.4(17)/स्वा/स्था/का/05–06 /9059–9094 दिनांक 20.02.2006 के अनुसरण में क्षेत्रिय कार्यालय के अधीन श्री अब्दुल मन्नन (फिटर ।।) को उनके द्वारा कार्य प्रभारित पद पर संशोधित अर्द्धस्थाई घोषित होने की तारीख से 9 वर्ष की सेवा काल पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान (3050–4590) में दिनांक 01.01.1998 को वेतन रूपये 3050/– पर निर्धारित किया गया।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1998 से दिया गया, जो गलत है। अपीलार्थी ने 9 वर्ष की सेवाएं दिनांक 13.04.1997 को ही पूरी कर ली थी। इस कारण से अपीलार्थी 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 13.04.1997 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3144/2000 मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाम भजनलाल से प्रकट होता है कि उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने अधिकरण के उस आदेश को सही माना है, जिसमें अपीलार्थी को अर्द्धस्थायी करने के आदेश की दिनांक से गणना कर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना इस प्रकरण में की गई है। जहां तक लाभ के दिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में यह स्पष्ट नहीं किया है कि चयनित वेतनमान का लाभ अर्द्धस्थायी घोषित किये जाने के पश्चात दिनांक 01.01.1998 से लागू नहीं होगा। हम यह पाते हैं कि वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.1.(3) वित्त/ व्यय–3/93 दिनांक 04.03.1998 क्रमांक प.1. (3)वित्त/व्यय–3/98 दिनांक 30.09.1998 के अनुसार अर्द्धस्थायी घोषित हुये कार्मिकों को चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1998 से दिया जाना

माना है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 04.03.1998 का सम्बन्धित भाग निम्न प्रकार से हैः–

> ''अर्द्ध–स्थाई होने के दिनांक से सेवा की गणना कर चयनित वेतनमान स्वीकृत करने की मांग वर्क चार्ज कर्मचारी लम्बे समय से करते रहे हैं। चयनित वेतनमान हेतु सेवा की गणना करने के विषय पर राज्य सरकार ने पुनः विचार किया है। वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों को चयनित वेतनमान देने के संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 20.09.1995 के बिन्दु संख्या 19 एवं 03.03.1997 के अधिक्रमण में वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं नियमित किये गये वर्कचार्ज कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान दिनांक 01.01.1998 से देय होंगे। चयनित वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सेवा की गणना उनके अर्द्ध स्थाई होने पर वेतनमान प्राप्त करने की दिनांक से की जावेगी।''

4. इस प्रकार राजस्थान सरकार ने चयनित वेतनमान का लाभ वर्गचार्ज कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1998 से दिया जाना घोषित किया है। हम यह पाते हैं कि यदि चयनित वेतनमान का लाभ किसी वर्ग के कर्मचारियों को दिये जाने की घोषणा सरकार करती है तो वह लाभ दिये जाने की तारिख निश्चित करने के लिए भी सक्षम है। यदि सरकार ने किसी निश्चित तारिख से लाभ दिया जाना निर्णित किया है तो उसमें इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। सरकार को यह अधिकार है कि वह लाभ किसी निश्चित तारीख से दिया जाना तय कर सके। अपीलार्थी की यह मांग है कि अपीलार्थी को लाभ दिनांक 01.01.1998 से नहीं दिया जाकर उसे पूर्व की दिनांक से दिया जाये, जो उचित नहीं है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने उनके द्वारा पारित नीतिगत निर्णय के आधार पर दिनांक 01.01.1998 से लाभ दिया जाना निश्चित किया है और उसी दिनांक से अपीलार्थी को लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें कोई दुर्भावना होना प्रकट नहीं होता है।

5. परिणामस्वरूप इस अपील में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)